न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./79/2024

बच्चू पुत्र बोदन जाति जाट निवासी ग्रांम पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर
.....प्रार्थी0

बनाम

1—बृजेन्द्र पुत्र बोदन जाति जाट निवासी ग्रांम पिपरऊ तहसील नदबई जिला भरतपुर
2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3—एच.डी.एफ.सी. बैंक सरक्यूलर रोड भरतपुर शाखा प्रबन्धक,
4—पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई जरिये शाखा प्रबन्धक,
.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी नदबई श्री गंगाधर मीना, प्रकरण संख्या 73/2022 शीर्षक बच्चू बनाम बृजेन्द्र आदि।

उपस्थितः—
1—श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी—1

दिनांक 16.04.2025

निर्णय

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ एस.डी.ओ. नदबई इस आशय का पेश किया गया है, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा संख्या 73/2022 शीर्षक बच्चू बनाम बृजेन्द्र आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई में विचाराधीन है। प्रकरण में तहसील से कुरे आ चुके हैं, जो सही नहीं है, पीठासीन अधिकारी ने कुरों पर आपत्ति पेश करने का मौका नहीं दिया और दावा सीधा ही निर्णय में लगा दिया। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये हैं उसके हक में निर्णय करना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके वकील को पीठासीन अधिकारी से मिलते हुये देखा है, तथा गांव में धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है दावा अपने हक में होगा। प्रार्थी को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी श्री मीना जी से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय एस.डी.एम.नदबई में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य एक दावा उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार से कुरे आ चुके हैं, तहसीलदार ने कुरे सही नहीं बनाये गये हैं, जिस पर प्रार्थी को आपत्ति है, प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से कुरों पर आपत्ति पेश करने के लिये समय देने के कहा परन्तु पीठासीन अधिकारी ने एक नहीं सुनी और पत्रावली आदेश में लगा दी। योग्य अभिभापक का तर्क है कि जब तहसील से कुरे आये हैं, वे सही हैं या गलत पक्षकार को सुनना चाहिये, परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया, और प्रकरण को आदेश में लगा दिया। पीठासीन अधिकारी की इस कार्यवाही से प्रार्थी को शंका हो गई है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के हक में फैसला करेंगें। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में झूँठे आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी का उद्देश्य विचाराधीन बटवारे दावा को देरीना करने का है, प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि अगर प्रार्थी को कुरों पर कोई आपत्ति है तो वह न्यायालय में इसके लिये आपत्ति करने के लिये स्वतन्त्र है। गल्त तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना उसकी रेमेडी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। एस.डी.ओ. नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को पुष्टी हो सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति एस.डी.ओ. नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर